हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Raipur Bhoomi - 19 Aug 2025 - Page 4

शराब घोटाले को लेकर ईडी ने चैतन्य की पांच दिन के लिए मांगी रिमांड

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

करोड़ों रुपए के शराब घोटाला में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। शराब घोटाला में नए तथ्य मिलने का दावा करते हुए ईडी ने चैतन्य से पूछताछ करने पांच दिनों की पुलिस रिमांड देने कोर्ट में आवेदन लगाया है। कंडोलेंस (शोक सभा) होने की वजह से रिमांड पर सुनवाई नहीं हो पाई। चैतन्य को रिमांड पर देने ईडी तथा बचाव पक्ष के वकील मंगलवार को दलील पेश करेंगे। ईडी की विशेष कोर्ट ने चैतन्य को एक दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का फैसला सुनाया।

- रिमांड को लेकर कोर्ट में आज होगी सुनवाई, एक दिन के लिए न्यायिक रिमांड बढ़ाई गई

चैतन्य को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 11 बजे सेंट्रल जेल से कोर्ट लाया गया। ईडी की वकील ने कोर्ट में आवेदन पेश करते हुए दावा किया कि जांच के दौरान ईडी को शराब घोटाले में नए तथ्य मिले हैं। इसके लिए चैतन्य से पूछताछ कर जरूरी जानकारी जुटाने ईडी ने चैतन्य की पांच दिनों की पुलिस रिमांड देने मांग की है। पिछली सुनवाई 4 अगस्त को हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने चैतन्य को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का फैसला सुनाया था। इसके पहले चैतन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को गलत बताते हुए चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद भूपेश और चैतन्य के वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने याचिका दायर की है।

डेढ़ माह से जेल में बंद

ईडी ने चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था। पूछताछ करने के बाद ईडी ने चैतन्य को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद से वे न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद हैं। जांच के दौरान क्या नए तथ्य मिले हैं, मंगलवार को ईडी कोर्ट में तर्क पेश करेगी, इसके बाद इस बात की जानकारी मिल पाएगी।